**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 8**

**ftldk mRrj 24 uoEcj] 2014 dks fn;k tkuk gS**

**dks;yk daifu;ksa esa ckgjh lzksrksa ls dke djokuk**

**8 Jh ifjey uFkokuh %**

D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k lkoZtfud {ks= dh dks;yk daifu;ksa esa vusd fØ;kdyki@dk;Z ckgjh lzksrksa ls djok, tk jgs gSa(

¼[k½ ;fn gka] rks dksy bafM;k fyñ dh vuqorhZ daifu;ksa esa ckgjh lzksrksa ls djok, tk jgs dk;Z dh izfr'krrk lfgr vuqorhZ daiuh&okj rRlaca/kh C;kSjk D;k gS rFkk bl ij ljdkj dh D;k izfrfØ;k gS(

¼x½ ckgjh lzksrksa ls dke djok, tkus dh otg ls fdrus dkexkjksa dh vkthfodk lekIr gks xbZ gS( vkSj

¼?k½ ckgjh lzksrksa ls dke djk, tkus dks lekIr djus vFkok de djus rFkk bldh otg ls viuk jkstxkj [kks pqds dkexkjksa ds iquokZl ds fy, ljdkj }kjk mBk, x,@mBk, tk jgs dne D;k&D;k gSa\

**उत्‍तर**

**कोयला, विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख) :** कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा जिन कार्यों को आउटसोर्स के आधार पर करवाया गया उनमें मुख्‍यत: इसकी सहायक कंपनियों की कुछ खानों में कोयले का उत्‍पादन और ओवर बर्डन (ओबी) को हटाने तथा ढुलाई शामिल है। सीआईएल में वर्ष 2013-14 के दौरान मशीनों और उपस्‍करों को किराए पर लेकर तथा विभागीय माध्‍यमों से ओसी कोयले के उत्‍पादन तथा ओबी को हटाने से संबंधित उक्‍त कंपनी-वार ब्‍यौरा एवं उसकी प्रतिशतता **अनुबंध** में दी गई है।

**(ग) और (घ) :** कोयले की विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए तीव्र गति से बढ़ती हुई मांग को देखते हुए तथा कम से कम संभव समय में कोयले के उत्‍पादन को बढ़ाने के उद्देश्‍य से सीआईएल ने मुख्‍य रूप से विभागीय क्षमताओं में कटौती किए बिना कोयला उत्‍पादन की अतिरिक्‍त क्षमता स्‍थापित करने के लिए अपनी कुछ खानों में आउटसोर्सिंग के आधार पर अपने कार्यकलाप निष्‍पादित किए हैं। इस प्रकार आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्य करवाने के कारण श्रमशक्‍ति में कोई कटौती नहीं की गई और किसी की भी आजीविका समाप्‍त नहीं हुई है। बल्‍कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए अप्रत्‍यक्ष रूप से इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| कंपनी | उपस्‍करों द्वारा  | ओसी कोयला  | ओबीआर  |
| वास्‍तविक (मि.ट. में) | प्रतिशतता | वास्‍तविक (घन मि. में) | प्रतिशतता |
| ईसीएल | विभागीय | 20.286 | 69.5 | 32.466 | 37.9 |
| किराए पर | 8.897 | 30.5 | 53.290 | 62.1 |
| कुल | 29.183 | 100.0 | 85.756 | 100.0 |
| बीसीसीएल | विभागीय | 12.109 | 40.5 | 30.726 | 36.0 |
| किराए पर | 17.801 | 59.5 | 54.693 | 64.0 |
| कुल | 29.910 | 100.0 | 85.419 | 100.0 |
| सीसीएल | विभागीय | 31.227 | 63.6 | 35.942 | 60.9 |
| किराए पर | 17.839 | 36.4 | 23.080 | 39.1 |
| कुल | 49.066 | 100.0 | 59.022 | 100.0 |
| एनसीएल | विभागीय | 68.639 | 100.0 | 79.472 | 38.1 |
| किराए पर | 0.000 | 0.0 | 129.315 | 61.9 |
| कुल | 68.639 | 100.0 | 208.787 | 100.0 |
| डब्‍ल्‍यूसीएल | विभागीय | 26.703 | 83.4 | 59.298 | 49.4 |
| किराए पर | 5.296 | 16.6 | 60.778 | 50.6 |
| कुल | 31.999 | 100.0 | 120.076 | 100.0 |
| एसईसीएल | विभागीय | 12.908 | 12.0 | 68.588 | 47.3 |
| किराए पर | 94.937 | 88.0 | 76.287 | 52.7 |
| कुल | 107.845 | 100.0 | 144.875 | 100.0 |
| एमसीएल | विभागीय | 23.981 | 22.0 | 40.442 | 42.1 |
| किराए पर | 85.025 | 78.0 | 55.586 | 57.9 |
| कुल | 109.006 | 100.0 | 96.028 | 100.0 |
| एनईसी | विभागीय | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
| किराए पर | 0.661 | 100.0 | 6.581 | 100.0 |
| कुल | 0.661 | 100.0 | 6.581 | 100.0 |
| सीआईएल | विभागीय | 195.853 | 45.9 | 346.934 | 43.0 |
| किराए पर | 230.456 | 54.1 | 459.610 | 57.0 |
| कुल | 426.309 | 100.0 | 806.544 | 100.0 |

\*\*\*\*\*\*